राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी(जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
217/2022	22.11.2022	20.05.2024

उनवान

1. प्रेम देवी पत्नी वेदपाल जाति जाट निवासी ढाणी बालोठ जिला झुंझुनू राजस्थान।

वादिनी।

बनाम

1. श्रीमती गुरबक्स कौर पत्नी गुरदीप सिंह कंग जाति सिख निवासी प्लाट नं. 45 मिलाप नगर,जयपुरिया अस्पताल के पास टोंक रोड़,जयपुर राजस्थान।
2. तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादिनी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 01 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम सिन्दोली पटवार हल्का सिन्दोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल जयपुर ग्रामीण राजस्थान मे आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 221(नया) 200(पुराना) खसरा नम्बर 75/354 रकबा 1.0116 हैक्टेयर स्थित है। जिसमे वादिनी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 01 का 1/2 हिस्सा है। उपरोक्त कृषि भूमि पर वादिनी तथा प्रतिवादी संख्या–01 अपने–अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार है एवं मनबट के अनुसार कृषि काश्त करते आ रहे है। वादिनी द्वारा कई बार प्रतिवादी सं. 01 से उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा किये जाने का निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादी सं. 1 हर बार कोई ना कोई बहाना तथा समय मिलने पर तकासमा करने का आश्वासन देती रही है।
2. दिनांक 15.11.2022 को वादिनी अपनी उक्त आराजी की सार संभाल करने मौके पर गई तो वहां पर निमार्ण सामग्री पडी हुई थी एंव निमार्ण कार्य चालू था जिस पर वादिनी ने वहॉ उपस्थित कारीगरों से पूछताछ करने पर जानकारी हुई की यह निमार्ण प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा किया जा रहा है जो बिना वादिनी की सहमति के किया गया था। इस पर वादिनी ने प्रतिवादी सं. 1 से संपर्क कर उसके द्वारा बिना विधिवत बंअवारे के निमार्ण करने व कृषि भूमि की किस्म बदलने बाबत उलाहना दिया तथा बंटवारे के बिना निमार्ण कार्य नही करने एंव विधिवत बंटवारा किये जाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 नाराज हो गयी तथा उसने वादिन की को धमकी दी की ज्यादा दिमाग लगाया तो मेरी जमीन के साथ ही तुम्हारे हिस्से की आराजी को भी बदमाश किस्म के व्यक्तियों को बेचान कर कब्जा संभला दूगीं। उक्त बातों से वादिनी को अंदेशा हो गया कि प्रतिवादी सं. 01 अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है तथा बंटवारे से पूर्व विवादग्रस्त कृषि भूमि में बिना भू–उपयोग परिर्वतन करवाये निमार्ण कर बेचान कर सकती है। प्रतिवादी सं. 1 विवादित कृषि भूमि को बिना बंटवारा किये ही विक्रय कर वादिनी को बेदखल करना चाहती है जबकि विवादित आराजी का अभी तक विधिवत तकासमा नही हुआ है इसलिए वादिनी को यह वाद बाबत तकासाम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।
3. अंत मे वादिनी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:–
(क) यह है कि वाद वादिनी विरूद्व प्रतिवादी सं. 01 बाबत बंटवारा कृषि भूमि डिक्री किया जाकर वादपत्र के पैरा संख्या 01 मे वर्णित कृषि भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत तकासमा किया जाकर वादिनी को उपरोक्त खसरा नम्बर मे राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज उसके हिस्से अनुसार अलग हिस्सा दिलवाया जावें।

सत्यमेव जयते जिला जयपुर

(ख) प्रतिवादी सं. 01 को जरिए हुक्म ईम्तनाइ दवामी पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादी सं. 01 दिलाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो बय नजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाया जावे ।

4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया बाद विधिवत तलबी प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुयें। लिहाजा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

5. वकील वादिनी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादिनी ने अपने बहस मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि आराजी विवादित पक्षकारान की सहखातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। जिसकी नकल जमाबन्दी सं. 2074–77 पेश कि गई है। अतः वाद वादिनी प्रा0डिक्री किया जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्राप्त कि जावे।

6. हमने वकील वादिनी की बहस सुनी व मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का्ा अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न नकल जमाबन्दी सं. 2074–77 के अवलोकन से साबित है कि आराजी विवादित पक्षकारान की सामलाती खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है जिसके आधार पर वादिनी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब किया जाना उचित प्रतित होता है। इसलिए दिनांक 04.07.2023 को वादिनी का वाद प्रा0डिक्री किया जा कर तहसीलदार,बस्सी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विधिवत विवादित आराजी के कुर्रे कायम कर कुर्रे कायमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा मे भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

7. तहसीलदार,बस्सी ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/2024/676 दिनाक 08.02.2024 के द्वारा कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्रेषित कि गई बाद विधिवत कार्यवाही कुर्रे कायमी रिपोर्ट सामिल पत्रावली की जाकर वकील वादिनी को सुना गया वकील वादिनी ने कुर्रे कायमी रिपोर्ट के अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया।हमने वकील वादिनी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए वाद वादिनी बाबत तकासमा आराजी डिक्री किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

8. अतः आदेश है कि:–

वाद वादिनी बाबत तकासमा आराजी बहक वादिनी विरूद्व प्रतिवादी सं. 01 मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुंख अंकित आराजी वाके ग्राम सिन्दोली पटवार हल्का सिन्दोली भू–अभिलेख निरीक्षक फल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	वि0वि0
1.	1. गुरबक्स कौर पत्नी गुरदीपसिंह कंग हिस्सा 1/2 जाति सिख निवासी 45 मिलाप नगर जयपुरिया अस्पताल के पास टोंक रोड़ जयपुर खातेदार	75/354/1	0.5058 हैक्टेयर (चाही 1 0.1518 बंजड 1 0.3540)	
		किता 01	कुल रकबा 0.5058 हैक्टेयर	
2.	1. प्रेमदेवी पत्नी वेदपाल हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.ढाणी भालोठ झुन्झुनू खातेदार	75/354/2	0.5058 हैक्टेयर (चाही 1 0.1517 बंजड 1 0.3541)	
		किता 01	0.5058 हैक्टेयर	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादिनी स्वयं वहन करेगी पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

20/5/2024

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी(जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
217/2022	22.11.2022	20.05.2024

उनवान

1. प्रेम देवी पत्नी वेदपाल जाति जाट निवासी ढाणी बालोठ जिला झुंझुनू राजस्थान।

वादिनी।

बनाम

1. श्रीमती गुरबक्स कौर पत्नी गुरदीप सिंह कंग जाति सिख निवासी प्लाट नं. 45 मिलाप नगर,जयपुरिया अस्पताल के पास टोंक रोड़,जयपुर राजस्थान।
2. तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

पर्चा डिक्री

वाद वादिनी बाबत तकासमा आराजी बहक वादिनी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 01 मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुंख अंकित आराजी वाके ग्राम सिन्दोली पटवार हल्का सिन्दोली भू–अभिलेख निरीक्षक फल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल जयपुर ग्रामीण उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	वि0वि0
1.	1. गुरबक्स कौर पत्नी गुरदीपसिंह कंग हिस्सा 1/2 जाति सिख निवासी 45 मिलाप नगर जयपुरिया अस्पताल के पास टोंक रोड़ जयुपर खातेदार	75/354/1	0.5059 हैक्टेयर (चाही 1 0.1518 बंजड 1 0.3540)	
		किता 01	कुल रकबा 0.5058 हैक्टेयर	
2.	1. प्रेमदेवी पत्नी वेदपाल हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.ढाणी भालोठ झुन्झुनू खातेदार	75/354/2	0.5058 हैक्टेयर (चाही 1 0.1517 बंजड 1 0.3541)	
		किता 01	कुल रकबा 0.5058 हैक्टेयर	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है।

20/5/2024

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी
सत्यमेव जयते
जयपुर